तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या :– 34/2017 श्रद्धा बिजारणिया बनाम ईश्वर वगै0 प्रार्थना पत्र अ. धा. 111, 128 राज. भू राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2.08.24	वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मिसल तलबी का पेश करने पर पत्रावली तलब कर वास्ते आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि राजस्व ग्राम भूरासर पटवार हल्का नयासर तहसील व जिला झुंझुनूं की सरहद में हाल भूमि खसरा नं. 20 रकबा 0.14 है0, खसरा नं. 25 रकबा 1.79 है0 किता 2 का कुल रकबा 1.93 है0 भूमि अवस्थित है जो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि का दिनांक 03.05.2022 को पटवारी हल्का नयासर से सीमाज्ञान करवाया है जिससे प्रार्थी पूर्णतया संतुष्ट है। उक्त भूमि की सीमा चिन्ह के अनुसार प्रार्थी पत्थरगडी करवाना चाहता है। सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार पत्थरगडी करवाने में प्रार्थी को कोई आपति नहीं है। बहस पत्रावली पर सुना जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के अनुसार ग्राम भूरासर पटवार हल्का नयासर तहसील व जिला झुंझुनूं की सरहद में हाल भूमि खसरा नं. 20 रकबा 0.14 है0, खसरा नं. 25 रकबा 1.79 है0 किता 2 का कुल रकबा 1.93 है0 अवस्थित है जो मुताबिक जमाबंदी प्रार्थी की खातेदारी भूमि दर्ज रिकॉर्ड होना साबित है। प्रार्थी उक्त भूमि का सीमाज्ञान संलग्न रिपोर्ट दिनांक 03.05.2022 के अनुसार ही पत्थरगडी करवाना चाहता है। चूंकि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर सीमा चिन्ह कायम करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। लिहाजा :– –: आदेश :– प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार झुंझुनूं को आदेशित किया जाता है कि ग्राम भूरासर पटवार हल्का नयासर तहसील व जिला झुंझुनूं की सरहद में हाल भूमि खसरा नं. 20 रकबा 0.14 है0, खसरा नं. 25 रकबा 1.79 है0 किता 2 का कुल रकबा 1.93 है0 भूमि के चारों ओर मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 03.05.2022 के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूला जाकर सीमा चिन्ह यानि पत्थरगडी करवायें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02.08.2024 को खुले इजलास सुनाया गया। (सुमन सोनल) उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं (राज.)	